

पत्रावली पेश की। सर्वोच्च न्यायाधीश, दिल्ली।
उपस्थित न्यायाधीश, श्री. जे. एच. लॉरेंस
हैं। अन्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में। अतः पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-10-19
को पेश की।

पत्रावली पेश की। सर्वोच्च न्यायाधीश, दिल्ली।
उपस्थित न्यायाधीश, श्री. जे. एच. लॉरेंस
हैं। अन्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में। अतः पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-10-19
को पेश की।

18-10-19

पत्रावली पेश हुई। न्यायाधीशों के वकील उपर।
न्यायाधीशों की वकीलें हेतु तलबना व
सम्बन्ध पत्रावली पत्रावली वकीलें हेतु
06-12-19 को पेश की।

पत्रावली पेश की। सर्वोच्च न्यायाधीश, दिल्ली।
उपस्थित न्यायाधीश, श्री. जे. एच. लॉरेंस
हैं। अन्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में। अतः पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-01-2020
को पेश की।

31.1.20

अतः पत्रावली पेश हुई। विधायक अधिवक्ता वारी
अतः पत्रावली की अधिवक्ता का अवलोकन किया
जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रतिन्यायाधीश को उचित तलब
नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा विधायक अधिवक्ता
वारी हुए। अतः तलबाना पत्रावली पेश करने हेतु अधिवक्ता
किया गया परन्तु अधिवक्ता वारी द्वारा मिथीपत्र
अधीन से अग्रज तलबाना पत्रावली व कर न्यायालय
कल्प जाया किया गया।
अतः पत्रावली केसल सुधार होकर अग्रज से काम
पत्रावली उपर रखिल किया गया।
निर्णय सुले न्यायालय से सुनाया गया।